संख्या-27/2015/641/47-का-3-2015-9/128/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 24 अप्रैल, 2015**

विषय - वित्तीय वर्ष 2015-2016 में सेंटर फार गुड गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश के व्यय के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के पत्रांक-सी.जी.जी./बजट/20, दिनांक 06/04/2015 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को सेंटर फार गुड गवर्नेन्स (सुशासन केन्द्र) उत्तर प्रदेश के व्यय हेतु सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2015-2016 हेतु आय-व्यय के अन्तर्गत उ0प्र0 विनियोग अधिनियम, 2015 (अधिनियम संख्या-2 सन 2015) द्वारा स्वीकृत व्यय के लिए रू0-7,10,000/- (रूपये सात लाख दस हजार मात्र) की धनराशि अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-सेंटर फार गुड गवर्नेन्स" के निम्नलिखित मानक मदों/ उपशीर्षों में सम्मुख अंकित धनराशि माह अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक के व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

धनराशि (रूपये हजार में)

उपशीर्ष/ मद का नाम	**वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक/ अनुदान धनराशि**	**माह (अप्रैल, 2015 से माच, 2016 तक) की जाने वाली धनराशि**
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	710	710
योग	**710**	**710**

(रूपये सात लाख दस हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा समय-सयम पर आवश्यकतानुसार शासन की पूर्व सहमति/ अनुमोदन से किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नही की जायेगी, बल्कि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा उक्त धनराशि का बिल महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा तैयार किया जायेगा एवं उक्त बिल को अनु सचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अनुदान संख्या-19 के लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-सेंटर फार गुड गवर्नेन्स" के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में माह अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में रू0-7,10,000/- (रूपये सात लाख दस हजार मात्र) के मद के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-27/2015/641(1)/47-का-3-2015-9/128/2014, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. अनु सचिव, नियुक्ति अनुभाग-6,उ.प्र. शासन को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
6. नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक) उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।